भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2383
सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

2383. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के माध्यम से मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले निर्माण कामगारों, खान कामगारों और कारखाने के कामगारों की श्रेणी-वार संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत चलाए जा रहे शिशुगृहों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, जैसा कि प्रसूति प्रसुविधा (संशोधित) अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया है में, अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश और प्रतिष्ठानों द्वारा शिशुगृह की सुविधा का प्रावधान है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें खानों, कारखानों और निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत कवर की गई महिला कामगारों को भी मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के भुगतान की हकदार प्रत्येक महिला को, इस अधिनियम के तहत तब तक कवर किया जाता है जब तक वह ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए योग्य नहीं हो जाती। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत प्रदान किए गए मातृत्व लाभों का विवरण निम्नानुसार है:

....जारी पृष्ठ2/-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)	संख्या
2018-19	369.08	46469
2019-20	383.62	49200
2020-21	390.04	46327
2021-22	373.77	45610
2022-23	415.99	47919

पालना (कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय शिशुगृह योजना) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के माध्यम से बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष के आयु वर्ग के) को शिशुगृह/ डे केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 01.01.2017 से लागू किया गया। दिनांक 31.10.2023 तक, राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पालना के तहत 2412 शिशुगृह कार्यशील थे। सूची **अनुबंध** में दी गई है।

* ******

अनुबंध

'मातृत्व लाभ(संशोधन) अधिनियम, 2017' के संबंध में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2383 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पालना योजना के तहत राज्य-वार कार्यशील शिशुगृह

(दिनांक 31.10.2023 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	शिशुगृहों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरूणाचल प्रदेश	43
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	43
8.	हरियाणा	165
9.	हिमाचल प्रदेश	116
10.	झारखंड	0
11.	कर्नाटक	430
12.	केरल	273
13.	मध्य प्रदेश	9
14.	महाराष्ट्र	0
15.	मणिपुर	427
16.	मेघालय	28
17.	मिजोरम	175
18.	नागालैंड	94
19.	ओडिशा	0
20.	पंजाब	151
21.	राजस्थान	0
22.	सिक्किम	25
23.	तमिलनाडु	135
24.	तेलंगाना	0
25.	त्रिपुरा	137
26.	उत्तर प्रदेश	0
27.	उत्तराखंड	0
28.	पश्चिम बंगाल	0
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ-राज्य क्षेत्र)	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव	0
32.	दिल्ली	44
33.	जम्मू और कश्मीर	0
34.	लद्दाख	0
35.	लक्षद्वीप	0
36.	पुदुचेरी	94
	कुल	**2412**

*****